**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

**क्षेत्रीय उप निदेशक एवं सिविल सर्जनों की दिनांक 19.9.2013 को हुई बैठक के उपरांत कार्ययोजना :**

1. दिनांक 30 सितम्बर तक सभी आवश्यक घोषित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। कठिनाई होने पर डा0 डी० के० रमण, राज्य स्वास्थ्य समिति एवं राज्य औषधि नियंत्रक से संपर्क किया जा सकता है। सभी सिविल सर्जनों को सरकार के संकल्प संख्या–12/प०–08–06/11–718(12), दिनांक 17.09.13 के प्रावधानों से अवगत कराया गया ताकि आपात स्थिति में भर्ती मरीजों को निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध हो सके। यह भी प्रतिवेदित किया गया कि संकल्प के प्रावधानों का उपयोग सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जाता है।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

2. (क) टीकाकरण के अंतर्गत सभी आशा कार्यकर्त्ताओं के द्वारा due list का निर्माण एवं उसे 30 सितम्बर, 2013 तक update करने की कार्रवाई ।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

(ख) राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मुस्कान एक अभियान के संबंध में पुनरीक्षित दिशानिर्देश भेजना।

(अनुपालन : राज्य स्वास्थ्य समिति)

3. (क) चिकित्सकों एवं ANM/ Nurses की नियमित नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी तैयार करना एवं ANM/ Nurses की रिक्तियों का Roster Clearance 26.09.2013 तक निश्चित रूप से कराकर भेजना।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

(ख) दिनांक 26.9.2013 को सिविल सर्जनों के प्रधान लिपिकों की एक बैठक स्वास्थ्य विभाग के सभाकक्ष में पूर्वा0 11 बजे से होगी, जिसमें उपरोक्त रिक्तियों की समीक्षा भी की जाएगी।

(अनुपालन : निदेशक प्रमुख एवं संयुक्त सचिव, श्री कुमार)

(ग) ANM(R) की संविदा नियुक्ति हेतु राज्य स्तर से एक तिथि निर्धारित करते हुए विज्ञापन निकाला जाए।

(अनुपालन : राज्य स्वास्थ्य समिति)

4. (क) सभी सदर अस्पतालों में निम्नांकित विषयों से संबंधित OPD की सुविधाएँ 15 अक्टूबर से प्रारंभ कराना :

i. नेत्र चिकित्सा,
ii. दंत रोग,
iii. चर्म रोग,
iv. ECG की सुविधा,
v. Diabetes के लिए Blood Sugar की जाँच की व्यवस्था।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

(ख) इसके लिए इन Units के आवश्यक उपकरणों के क्रय/ Rate Contract के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के डा0 डी0के0 रमण के द्वारा 20.9.2013 तक सभी सिविल सर्जनों को भेज दिया जाएगा जिसके आलोक में क्रय हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

(अनुपालन : डा0 डी0के0 रमण, राज्य स्वास्थ्य समिति/ सभी सिविल सर्जन)

(ग) जिन जिलों में ECG machines नहीं हैं उनका क्रय कर प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा निर्धारित अवधि से पहले उपलब्ध कराया जाएगा।

(अनुपालन : प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम)

(घ) इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान में एक से दो चरणों में ECG / हृदय रोग आकस्मिकता के संबंध में एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहाँ जिला से एक–एक चिकित्सक एवं Paramedic भाग लेंगे। इसे इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक एवं डा0 डी0के0 रमन organize करेंगे।

(अनुपालन – निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान/ डा0 डी0के0 रमण)

5. (क) उन जिलों में जहाँ ICU के भवन बन गए हैं, 15 अक्टूबर तक ICU का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा एवं शेष जिलों में ICU स्थापना हेतु जमीन की उपलब्धता के साथ एक प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजा जाएगा।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

(ख) इसके लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो जाएँ इसे राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : राज्य स्वास्थ्य समिति/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम)

(ग) चिकित्सक एवं paramedics के लिए ICU का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

(अनुपालन : राज्य स्वास्थ्य समिति)

6. (क) सभी PHC, रेफरल अस्पताल, अनुमण्डल अस्पताल एवं सदर अस्पतालों के Landline Telephones 30 सितम्बर तक शत–प्रतिशत चालु कर दिया जाएंगे और BSNL के बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा।

(अनुपालन – सभी सिविल सर्जन)

(ख) 1 अक्टूबर, 2013 से इन दूरभाषों का भुगतान राज्य स्तर से ही BSNL को किया जाएगा जिसके संबंध में modalities राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा तय किया जाएगा।

(अनुपालनः राज्य स्वास्थ्य समिति)

(ग) इन दूरभाषों पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कार्यालयों के द्वारा प्रतिदिन Random रूप से फोन कर अस्पतालों के कार्यकलापों की जानकारी ली जाएगी।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन एवं क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख / राज्य स्वास्थ्य समिति)

7. PHC, रेफरल अस्पताल, अनुमण्डल अस्पताल एवं सदर अस्पताल का परिसर अच्छा हो साथ ही साफ–सफाई बेहतर ढंग से हो एवं रोगियों एवं उसके attendants को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए निम्नांकित कार्रवाई की जाएगी :

i. साफ–सफाई की बेहतर व्यवस्था हो एवं विशिष्ट रूप से कर्मियों की duty चिन्हित की जाए, जिन्हें सफाई व्यवस्था देखने की जवाबदेही हो।
ii. Doctors Room एवं Staff Room सुविधाओं से पूर्ण होना चाहिए, ताकि emergency duty में उन्हें कोई असुविधा नहीं हो।
iii. अस्पताल परिसर (बाहर का जगह समेत) अच्छी तरह से lighted होना चाहिए।
iv. समुचित संख्या में गमलों का प्रयोग होना चाहिए।
v. पेयजल की समुचित व्यवस्था हो।
vi. सभी चिकित्सक एवं कर्मी निर्धारित Apron में रहें और Name Plate भी लगाएँ।
vii. सारे अस्पताल भवनों का पोचारा / रंग रोगन दिवाली से पूर्व करा लिया जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार निर्धारित मापदण्डों के अधीन रोगी कल्याण समिति के मद में उपलब्ध राशि का प्रयोग किया जा सकेगा।

उपरोक्त indicators के आधार पर प्रत्येक माह सिविल सर्जन एक कमिटि बनाकर PHC की रैंकिंग करेंगे। उसी तरह की समरूप व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति से भी की जाएगी।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन / राज्य स्वास्थ्य समिति)

8. (क) दुर्घटनाओं / Disaster में किस तरह की व्यवस्था होगी, इसकी रूपरेखा बैठक में दी गई है। तद्नुसार प्रारंभिक तैयारी 30 सितम्बर तक कर ली जाए।

(अनुपालन – सभी सिविल सर्जन)

(ख) इस संबंध में सरकार के स्तर से आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करने हेतु कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन – संयुक्त सचिव, श्री संजय कुमार)

9. (क) सरकार द्वारा पूर्व निर्गत सतरंगी चादरों की व्यवस्था लागू किया जाए। इसके लिए अधिकतम समय सीमा 1 नवम्बर, 2013 तय की जाती है।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

(ख) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा इसके लिए दर निर्धारित किए गए हैं, जिसके माध्यम से चादरों को procure किया जाए। राज्य स्वास्थ्य समिति इसकी monitoring करे।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

10. (क) Out Sourcing से प्राप्त सुविधाओं, जैसे 102, 108 के तहत ambulance, X-ray एवं Pathology Units, MMU, Bio Medical Waste Management से सम्बंधित उपकरणों के लम्बित बकायों पर चिंता व्यक्त की गई और निर्देश दिया गया कि यदि लम्बित दावा मान्य है तो भुगतान किया जाए और गलत है तो रद्द किया जाए। किसी भी परिस्थिति में भुगतान लम्बित नहीं रखा जाए।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

(ख) Out Sourcing करने के पश्चात अपने दायित्व की इतिश्री नहीं मानी जाए। उनका आवश्यक पर्यवेक्षण किया जाए।

(अनुपालन : सभी सिविल सर्जन)

11. माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अवमाननावादों में यह ध्यान रखा जाएगा कि अवमाननावाद दायर होने के एक महीने के अन्दर कारण–पृच्छा दाखिल होना चाहिए।

(अनुपालन – सभी सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय उप निदेशक)

**उपरोक्त 1–11 बिन्दुओं के आधार पर जिला के performance की रैंकिंग की जाएगी। इन सभी बिन्दुओं के अनुपालन की पुनः समीक्षा हेतु एक बैठक अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह में होगी।**

Sd/- 20/9/13

(दीपक कुमार)
**सरकार के प्रधान सचिव**

**ज्ञापांक SHSB/AO CELL/382/2013/**7831 **/ पटना,** दिनांक 20.09.2013

**प्रतिलिपि** – सभी सिविल सर्जन/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, बिहार/ सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 20/9/13

**सरकार के प्रधान सचिव**

**ज्ञापांक SHSB/AO CELL/382/2013/**7831 **/ पटना,** दिनांक 20.09.2013

**प्रतिलिपि** – सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 20/9/13

**सरकार के प्रधान सचिव**